न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

पीठासीन अधिकारीः—सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :—19 / 2024

प्रार्थीः—

हिम्मतसिंह पुत्र इन्द्रदान जाति चारण निवासी सरवडी चारणान
तहसील समदडी जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीगणः—

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार समदडी जिला बालोतरा
2. ओमसिंह पुत्र इन्द्रदान जाति चारण
3. रूकमकंवर पत्नी इन्द्रदान जाति चारण
4. सज्जनसिंह पुत्र इन्द्रदान जाति चारण

   सभी निवासीयान गांव सरवडी चारणान तहसील समदडी जिला बालोतरा

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अधिनियम हेतु दुरूस्ती</u>

उपस्थित :—

श्री लादाराम परमार अधिवक्ता प्रार्थी

—:: आदेश ::—

दिनांक :— 16.01.2025

प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन पत्र रा.भू.अ. की धारा 136 के तहत पेश किया गया है, संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 153, 153/1, 394, 464 व 519 रकबा क्रमशः 6.2483, 1.3274, 4.0145, 2.4119 व 3.8040 हैक्टेयर भूमि ग्राम सरवडी चारणान तहसील समदडी में अवस्थित है जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। प्रार्थी के अन्य समस्त दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, बैक पासबुक आदि में उसका वास्तविक नाम "हिम्मतसिंह पुत्र इन्द्रदान" दर्ज है किन्तु विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड में त्रुटिवश प्रार्थी का नाम "हड़मतसिंह पुत्र इन्द्रदान" लिख दिया । इस प्रकार अशुद्ध नाम अंकित होने से प्रार्थी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी की गई। विप्रार्थीगणों के विरूद्ध बावजूद सूचना [illegible] से एकपक्षीय कार्यवाही की गई। तहसीलदार समदडी के [illegible] /473 दिनांक 12.07.2024 द्वारा प्रार्थी के वास्तविक नाम के [illegible] रिपोर्ट प्रेषित की [illegible] प्रार्थी ने आवेदन पत्र के समर्थन में साक्ष्य दस्तावेज ड्राइ[illegible] लाईसेन्स,आधारकार्ड [illegible] बैंक पास बुक की प्रति पेश किया ।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.02.07 18:02:20 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम ''हिम्मतसिंह पुत्र इन्द्रदान'' है, किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा विवादित भूमि खसरा संख्या 153, 153/1, 394, 464 व 519 रकबा क्रमशः 6.2483, 1.3274, 4.0145, 2.4119 व 3.8040 हैक्टेयर भूमि ग्राम सरवडी चारणान तहसील समदडी में प्रार्थी का नाम हड़मतसिंह पुत्र इन्द्रदान'' त्रुटिवश लिख दिया जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थी अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार समदडी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी के आधारकार्ड, बैंक पासबुक,ड्राईविंग लाईसेन्स आदि दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम ''हिम्मतसिंह पुत्र इन्द्रदान'' की तस्दीक होती है, किन्तु विवादित भूमि में प्रार्थी का नाम ''हड़मतसिंह पुत्र इन्द्रदान'' दर्ज करने से राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। ऐसी सूरत में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम सरवडी चारणान तहसील समदडी के खसरा संख्या 153, 153/1, 394, 464 व 519 रकबा क्रमशः 6.2483, 1.3274, 4.0145, 2.4119 व 3.8040 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज में प्रार्थी का नाम ''हड़मतसिंह पुत्र इन्द्रदान'' के स्थान पर ''हिम्मतसिंह पुत्र इन्द्रदान'' दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार समदडी को तदनुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 16.01.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा) सत्यमेव जयते

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.02.07 18:02:20 IST
Reason: SelfAttested